न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कंसोटिया (RAS)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 39/2022

प्रार्थी –

पप्पूराम उर्फ खीयाराम पुत्र स्व. श्री लुम्बाराम जाति घांची निवासी– गांव खाराबेरा पुरोहितान, लूणी जिला जोधपुर ।

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. तेजाराम पुत्र स्व. श्री लुम्बाराम जाति घांची निवासी– गांव खाराबेरा पुरोहितान, लूणी जिला जोधपुर ।
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. श्री लुम्बाराम जाति घांची निवासी– गांव खाराबेरा पुरोहितान, लूणी जिला जोधपुर ।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, लूणी जिला जोधपुर।
4. भवंरसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री गोरधनसिंह, जाति राजपुरोहित निवासी गांव खाराबेरा पुरोहितान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थिति – 1. प्रार्थी के अधिवक्ता श्री सत्यनारायणसिंह राजपुरोहित
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता अनुपस्थित
3. अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से राज्य पेरोकार
4. अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से प्रहलादसिंह

निर्णय दिनांकः– 9/10/2023

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी की संयुक्त पुश्तैनी खातेदारी एंव काश्तकारी की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम खाराबेरा पुरोहितान,पटवार क्षेत्र खाराबेरा पुरोहितान, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खेत खसरा संख्या 925/1 रकबा 1.9425 हेक्टर किस्म बारानी प्रथम आई हुई है । जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है, हिस्सा संयुक्त रूप से पुश्तेनी खातेदारी कृषि भूमि में आया हुआ है । जिसका कोई आज दिन तक बंटवाडा नही हुआ है, इस कारण से प्रार्थी का पूरी खातेदारी कृषि भूमि के प्रत्येक इचं पर संयुक्त, हक हिस्सा व मालिकाना अधिकार है । प्रार्थी का संयुक्त नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 खेवट खतौनी सख्या नई 222 व पुरानी 63 माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ पेश है । उपरोक्त वर्णित खातेदारी पुश्तैनी कृषि भूमि प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या एक व दो के पिता लुम्बाराजी के नाम से दर्ज थी । लुम्बारामजी के देहान्त होने के बाद लुम्बारामजी के विधिक वारिसान के नाम से दर्ज हुई । तत्पश्चात आज वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थी के नाम खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है। प्रार्थी स्व लुम्बाराम के पुत्रान है तथा प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तेजाराम एंव लक्ष्मीनारायण की संयुक्त पुश्तेनी खातेदारी कृषि भूमि है तथा प्रार्थी अपने पिता स्व. लुम्बाराम के जीवनकाल में उनके साथ मिलकर संयुक्त कब्जा काश्त तथाकथित खातेदारी कृषि भूमि पर बुवाई करने, निराई गुडाई करने तथा खातेदारी कृषि भूमि की देखरेख करने हेतु लम्बे समय से की तथा उनकी मृत्यु के बाद भी उपरोक्त खातेदारी कृषि भूमि पर प्रार्थी का वर्णित खसरो के प्रत्येक इंच पर संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है । प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के बीच में कोई किसी प्रकार का मिटस एण्ड बाउण्डस के तहत बंटवाडा नही हुआ है तथा खातेदारी कृषि भूमि पर सामलात सिरोही रूप से कब्जा काश्त करते रहे है इस कारण से प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का वर्णित खातेदारी पुश्तैनी संयुक्त कब्जा काश्त के प्रत्येक इंच पर हर पक्षकार का हक, हिस्सा स्वामित्व अधिकार आया हुआ है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से कई बार गुजारिश कर चुका है कि अपनी संयुक्त पुश्तेनी खातेदारी कृषि भूमि का मिटस एण्ड बाउण्डस के तहत बंटवाडा कर ले । लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ऐसा करने पर मना कर दिया तथा अपनी हठधर्मिता पर उत्तर आया कि किसी भी कीमत पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बंटवाडा नही करेगा तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बिना बंटवाडा किये ही खातेदारी कृषि भूमि का बेचान करेगा, जिसका प्रार्थी कुछ भी नही बिगाड सकता है । उपरोक्त खातेदारी कृषि भूमि पर संयुक्त पुश्तैनी कब्जा काश्त है तथा प्रार्थी स्व श्री लुम्बाराम जी का पुत्र होने से संयुक्त पुश्तेनी खातेदारी कृषि भूमि में प्रार्थी का

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

बाई बर्थ संयुक्त मालिकाना हक, हिस्सा, बंट आधिपत्य व मालिकाना अधिकार होने से रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा जब तक विधिक रूप से उपरोक्त खातेदारी कृषि भूमि का बंटवाडा मिटस एण्ड बाउण्ड के तहत नही हो जाता है तब तक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 संयुक्त पुश्तैनी खातेदारी भूमि को बेचान हस्तांतरण नही कर सकता है न ही ऐसा करने का अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को कोई किसी प्रकार का विधिक अधिकार भी प्राप्त है फिर भी अप्रार्थी सख्या 1 व 2 मौके पर अराजकता फैलाना चाहता है तथा एलानिया तोर से प्रार्थी को धमकाया जा रहा है जो करना है वो प्रार्थी कर ले अप्रार्थी संख्या 1 व 2 रूकने वाला नही है तथा जहॉ से चाहेगा वहा के पडौस लिखकर खातेदारी कृषि भूमि का बेचान हस्तांतरण कर दिया जावेगा प्रार्थी स्वंय एक अपने व्यक्तियो से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को समझाईस करवाये जाने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपनी हरकतो से बाज नही आ रहा है तथा अपनी खातेदारी भूमि को बेचान हस्तांतरण खुर्द बुर्द गैर कानूनी हथकण्डे अपनाकर करने पर तुला हुआ है जो ऐसा करने का अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को कोई किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नही है । जब तक विधिक रूप से बंटवाडा नही हो जाता तब तक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 कृषि भूमि का बकेचान कर सकता है । प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को कई बार समझाईस की जा चुकी है कि प्रार्थी के पास उपरोक्त खातेदारी कृषि भूमि के अलावा अन्य कोई खातेदारी जमीन नही है न ही जीविका उपार्जन का अन्य कोई स्थायी स्त्रोत साधनन ही है प्रार्थी व उसके पूरे परिवार की खातेदारी कृषि भूमि से प्राप्त आय पर ही निर्भर है तथा प्रार्थी का मुख्य धंधा भी खेती बाडी व पशुपालन है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बहुत ही होशियार व चालाक व्यक्ति है तथा प्रार्थी एक भोला भाला इंसान को डरा धमकाकर गलत रास्ता अख्तियार करके बिना बंटवाडा हुए ही खातेदारी भूमि का बेचान हस्तांतरण किया जा रहा है जो ऐसा करने का अधिकार अप्रार्थी सख्या 1 व 2 को नही है ।

यह है कि प्रार्थी ने उपरोक्त वाद पद के सख्या 1 में वर्णित खातेदारी पुश्तैनी कृषि भूमि का बंटवाडा करने एंव हिस्से अनुसार बुवाई करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को कई बार समझाईस की जा चुकी है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ऐसा करने में कोई अच्छा प्रकट नही कर रहे है तथा प्रार्थी को बताया जा रहा है कि वो किसी भी सूरत में तथा कथित विवादित खातेदारी भूमि का रिकार्ड में बंटवाडा नही करेगा तथा अपनी मनमर्जी पूर्वक जो चाहेगा वो करके ही रहेगा । इस प्रकार सामलाती पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि को बाले बाले बेचान हस्तांतरण करने हेतु वाद विड्रो कर मौके पर दलाल एजेन्ट व ग्राहको को कृषि भूमि को बताना पिछले माह मार्च में लाना प्रारम्भ कर दिया तथा उसके बाद दिनांक 5.4.2022 को फायशा गालिया दी तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बहुत ही होशियार व चालाक व्यक्ति है वो अच्छी किस्म की जमीन को बेचान करने हेतु ग्राहको को दिखाकर कहा जा रहा है इस खेत में से जहॉ चाहो वहा पडौस लिखकर जमीन का बेचान कर सकता हूँ इस प्रकार से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एक राय हो गये है तथा पूर्व में भी एक राय होकर राजस्व मूल वाद एंव स्थगन प्रार्थना पत्र बअनवान लक्ष्मीनारायण बनाम खीमाराम उर्फ पप्पूराम वगैरा का इस माननीय न्यायालय में पेश किया जिसे विड्रो का प्रार्थना पत्र पेश कर विड्रो खारिज दिनांक 9.3.2022 को कर लिया है जबकि विधि का सुस्थापित सिद्वांत है कि बंटवाडा के वाद में प्रार्थी है जो अप्रार्थी एंव जो अप्रार्थी है वो प्रार्थी होते है क्योकि दोनो ही अपना हिस्सा मांगते है माननीय न्यायालय को हिस्सा तय करना होता है इस कारण से अप्रार्थी ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के बिना हिस्सा तय बंटवाडा हुए वाद को विड्रो कर खारिज करवा दिया गया तथा अब अपने हिस्से की कृषि भूमि को बेचान करने पर उतारू है तथा अप्रार्थी लक्ष्मीनारायण द्वारा कहा जा रहा है कि बिना बंटवाडा हुए बिना मौके पर कणा माठ व खसरो में बटा नंबर बेचान हस्तांतरण कर दिया जावेगा जबकि बिना बंटवाडा वं खसरा सख्या बटटा नंबर पडे किस आधार पर सामलाती पुश्तैनी खातेदारी भूमि का स्पेसिफिक एक हिस्से का पडौस जगह बताकर बेचान हस्तांतरण कर सकता है बिना राजस्व रेकर्ड में तरमीम हुए अपने हिस्से का बेचान नही किया जा सकता है ऐसा विधि द्वारा बाधित है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 नही कर सकते है फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 कानून को हाथ में लेकर ऐसा कर रहा है । प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि है तथा प्रार्थी ने अपना संयुक्त पुश्तैनी हिस्सा का मिटस एण्ड बाउण्ड के तहत बंटवाडा कर पूरे खेतो का मौके पर मौका कमिश्नर मुर्कर करके मौके पर नजरिया नक्शा के तहत बंटवाडा करके राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कराने हेतु वाद पेश है। प्रथम दृष्टया मामला एंव सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो के आधार पर बहुत ही मजबूत विधमान है तथा इस कारण से ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक मौका राजस्व रेकर्ड बेचान हस्तांतरण पर वर्णित कृषि भूमि पर जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को पाबंद नही किया गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी । ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक वर्णित कृषि भूमि को बेचान हस्तांतरण खुर्द बुर्द न तो स्वंय करे और न ही अन्य किसी के जरिये ही करवाये और न ही राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार का रदोबदल करे और न ही

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

कोई न या म्यूटेशन भरे, न ही प्रार्थी को उनके संयुक्त पुश्तेनी कब्जा काश्त के उपयोग उपभोग में खेत जोत में खेत की देखरेख में खेत पर आवागमन में अप्रार्थी संख्या 1 स्वंय या अन्य किसी के जरिये दखल अदांजी नही करे । इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पावंद किये जाने का आदेश फरमावे । अप्रार्थी सख्या 3 तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर को वाद के निस्तारण तक रेकर्ड व मौका में किसी प्रकार की फेरबदल नही करे न ही कोई नया म्यूटेशन भरे । अन्य अनुतोष जो प्रार्थी के विरूद्व हो पारित फरमावे ।

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को विवादग्रस्त खसरान में राजस्व रेकर्ड एंव मौके की यथास्थिति अप्रार्थीगण को आगामी आदेश तक नोटिस जारी किये । अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 की तामिल प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश कर बताया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने हक व हिस्से की खरीदसुदा जमीन भवंरसिंह को बेचान कर दी इसलिये हमारी जगह उनको पक्षकार बनाया जाये उसमे हमे कोई एतराज नही है ।

तत्पश्चात प्रार्थी भवंरसिंह राजपुरोहित द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया जिसमें बताया कि अप्रार्थी संख्या संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रार्थी को यह अवगत करवाया गया कि कृषि भूमि खेत खसरा सख्या 925/1 में से 8 बीघा कृषि भूमि का बेचाननामा प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित करवाया गया था के संबध में सह खातेदार पप्पूराम उर्फ खीयाराम ने न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर के समक्ष एक वाद प्रस्तुत किया है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को सहखातेदार होने की हैसियत से पक्षकार बनाया गया है । चूकि प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नही होने के कारण आपको पक्षकार नही बनाया गया है जिससे आपके हित बाधित होगे । विवादग्रस्त कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 925/1 कुल रकबा 12 बीघा कृषि भूमि में से 8 बीघा कृषि भूमि को प्रार्थी ने जरिये पंजीबद्व विक्रय विलेख दिनांक 29.3.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से खरीद ली थी जो बेचाननामा उपपंजीयक लूणी जिला जोधपुर के कार्यालय में पुस्तक संख्या प्रथम, जिल्द संख्या 339 पृष्ठ संख्या 10, कम संख्या 202203063101868 पर पंजीबद्वसुदा है । जिस पर न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया जिस पर संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय में रिकार्ड पर लिया गया ।

तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर बताया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा संयुक्त रूप से भूमि खरीद की गई जो खरीद का बेचाननामा दस्तावेज उपपंजीयक अधिकारी जोधपुर के कार्यालय में दिनांक 16.8.1993 पंजीबद्वसुदा है और उसका म्यूटेशन करवाया ओर बाद में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि को अप्रार्थी संख्या 4 को विधिवत तरीके से बेचाननामा दिनांक 29.3.2022 के जरिये बेचान कर दी, जो बेचाननामा उपपंजीयक लूणी के कार्यालय में दिनांक 29.3.2022 को पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 339, पृष्ठ संख्या 10, कम संख्या 202203063101868 पर पंजीबद्वसुदा है । वक्त बेचान कजा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अप्रार्थी सख्या 4 को सुपुर्द कर दिया । जिसके अनुसार वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 4 अपनी खरीदसुदा भूमि जो अप्रार्थी सख्या 1 व 2 के हक हिस्से की है पर काबिज मालिक है और वर्तमान में कब्जा भी अप्रार्थी संख्या 4 के पास ही है । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने अपने हक हिस्से की भूमि वाके ग्राम खाराबेरा पुरोहितान के खसरा सख्या 925/1 की अपने हिस्से 1/3–1/3 अपना सम्पूर्ण हिस्सा रकबा 1.295 हेक्टयेर यानि 8 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 4 को अपने मालिकाना अधिकारो का प्रयोग करते हुए बेचान कर दी । प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के बीच में पूर्व में भी विवाद चला जिसमें दोनो के बीच आपसी समझाईस से वाद विड्रो करते समय अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को यह कहा गया कि आप अपने हक हिस्से की जमीन बेच सकते है इसलिये वाद विड्रो हो जाने के बाद ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 को भूमि का बेचान किया गया लेकिन प्रार्थी की नियत में खोट आ जाने के कारण उसके द्वारा जानबूझकर झूठे तथ्यो को समावेश कर न्यायालय को गुमराह करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है । प्रार्थी के पास उसके हक अधिकार की 1/3 भूमि है जानबूझकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 को भूमि बेचान किये जाने के बावजूद यह झूठा वाद पेश किया है । प्रार्थी स्वंय एक शातिर व्यक्ति है और चालबाजी कर उक्त वाद मय प्रार्थना पत्र पेश किया है । ताकि अप्रार्थी सख्या 4 द्वारा खरीद की गई भूमि को विवादित बनाकर ओणे पोणे दाम अलग से वसूल कर सके ।

यह है कि अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा खरीद की गई भूमि को विवादित बनाया जा सके । अप्रार्थी सख्या 1 व 2 द्वारा विधिवत तरीके से अप्रार्थी संख्या 4 को अपना अपना हक हिस्सा बेचान किया है जिसकी बकायदा रजिस्ट्री करवाई गई है जिसकी जानकारी प्रार्थी को बकायदा है लेकिन

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

Scanned by CamScanner

उसके द्वारा अप्रार्थी सख्या 4 को वाद पत्र व स्थगन में सबसे पहले पक्षकार नही बनाकर झूठे तथ्यो का समावेश कर स्वच्छ हाथो से न्यायालय में नही लाने से उक्त प्रकरण काबिले निरस्त है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपना अपना हक हिस्सा अप्रार्थी संख्या 4 को बेचान किया जा चुका है जिसकी बकायदा जानकारी प्रार्थी को है लेकिन उक्त बेचान का छुपाकर गलत तथ्य का समावेश कर झूठी कहानी गढकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण पेश किया है । जब अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अपना अपना हक हिस्सा अप्रार्थी सख्या 4 को बेचान कर दिया गया तो उसका किसी भी प्रकार से बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा नही किया जा सकता जबकि प्रार्थी अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज है लेकिन जानबूझकर झूठे तथ्य पेश कर न्यायालय को गुमराह किया है अप्रार्थी संख्या 4 को तंग परेशान नही करे और झूठे वाद दायर कर न्यायालय का समय जाया नही करे । जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विशेष हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जाकर किसी भी प्रकार से मूल वाद के निस्तारण तक किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा नही दी जावे, प्रार्थना पत्र भारी हर्जे खर्चे सहित खारिज किये जाने योग्य है

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी जिसमें प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि ताफैसला मूल वाद तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाये कि राजस्व रेकर्ड एंव मौका यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक कायम की जाये ।

इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी हर्जे के साथ खारिज फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में किसी प्रकार का अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जावे, अप्रार्थी को न्याय दिलाया जाये ।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया । पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र गुणावगुण निर्णय इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 925/1 रकबा 1.9425 हेक्टर किस्म बारानी प्रथम ग्राम खाराबेरा पुरोहितान, पटवार क्षेत्र खाराबेरा पुरोहितान, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर की कृषि भूमि बाबत इस कारण प्रथम दष्ट्या मामला सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे नही होना पाया जाता है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(पुखराज कासोटिया आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

निर्णय आज दिनांक 09/10/2023 को खुले न्यायालय मे सुनाय गया

(पुखराज कासोटिया आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

Scanned by CamScanner